न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0--25/2016--17

हरिनारायण सिंह **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
5-4-18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद हरिनारायण सिंह, पिता चंदेश्वर सिंह, ग्राम--सरासत, पंचायत अदला, प्रखण्ड--नौबतपुर, जिला--पटना जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0 83/07 (रद्द) ने अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 567(आ0) दिनांक 02.06.2016 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश--2001 की कंडिका--15(1) के अंतर्गत दिनांक 30.08.2016 को दाखिल किया है, जिसे प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनने के लिए दिनांक 09.09.2016 निर्धारित किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक 13.05.2017 को अपीलकर्ता द्वारा आवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C 4180/17 हरिनारायण सिंह बनाम राज्य में दिनांक 12.04.2017 को पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का अवतरण निम्नवत् है :-- "In such view of the matter, this writ petition is disposed of with a liberty to the petitioner to file an appeal before the appellate authority. If such an appeal is filed, the appellate authority shall consider the same on merit and pass appropriate order in accordance with law within a period of four months from the date of filing of such appeal." दिनांक 07.09.2017 उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को वाद को सुनकर प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए, अगली तिथि 14.10.2017 को निर्धारित की गई। अपीलकर्ता के अपील आवेदन में अंकित है कि दिनांक 21.05.2016 को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नौबतपुर एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दानापुर द्वारा संयुक्त रूप से अपीलकर्ता के जन वितरण प्रणाली की दुकान	

की जांच की गयी एवं निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित किए गये :—

(1) कार्यावधि में जन वितरण प्रणाली दुकान बंद पाया गया।

(2) दुकान से सम्बन्धित पंजी दुकान में नहीं रखना।

(3) भण्डार पंजी, वितरण–पंजी, अद्यतन संधारित नहीं करना तथा दिनांक 08.05.2016 से अन्त्योदय P.H.H भण्डार पंजी अद्यतन नहीं पाया जाना।

(4) भण्डार पंजी में अंकित खाद्यान्न की मात्रा भौतिक रूप से भण्डार में नहीं पाया जाना

(5) वितरण–पंजी, भण्डार–पंजी तथा कैशमेमों साम्यरूप नहीं पाया जाना।

(6) किरासन तेल के ड्राम में विक्रेता के नाम एवं अनुज्ञप्ति सं0 अंकित नहीं पाया जाना।

(7) दुकान में लाभुकों की सूची एवं खाद्यान्न का नमूना नहीं पाया जाना।

(8) भण्डार –सह– मूल्य प्रदर्शन पट्ट संधारित नहीं पाया जाना।

अपीलकर्ता का कहना है कि स्पष्टीकरण के साथ जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। उनका कहना है कि दुकान जब बंद था तो जांच प्रतिवेदन में त्रुटियों का वर्णन निराधार एवं मनगंढत है। उनका कथन है कि वे विगत नौ वर्षो से दुकान चला रहे है एवं किसी उपभोक्ता द्वारा उनके विरूद्ध कभी शिकायत नहीं की गयी है। उनका कहना है कि वे एक विकलांग गरीब व्यक्ति है एवं जन वितरण प्रणाली दुकान उनका मुख्य जीविकोपार्जन है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनके स्पष्टीकरण पर कोई विचार नहीं किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर का आदेश न्यायसंगत नहीं है एवं निरस्त करने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को दिनांक 01.03.2018 को विस्तापूर्वक सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए पुनः कहा कि निरीक्षण के समय जब दुकान बंद पायी गयी, तो अन्य प्रतिवेदित अनियमितताएँ मनगढंत एवं तथ्य से परे है। अनुमंडल

पदाधिकारी द्वारा इस पर विचार किए बिना अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश पारित किया है, जो विधि के प्रतिकूल है। इन्हीं आधारों पर उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने एवं अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को पुर्नबहाल करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के विरूद्ध प्रतिवेदित गम्भीर अनियमितताये के सम्बन्ध में अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा बिक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई। बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसके साथ भंडार–पंजी, वितरण पंजी एवं कैशमेमों की छाया–प्रति भी समर्पित की गयी। उन्होंने स्पष्टीकरण में यह भी अंकित किया कि सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के बगल के अलमीरा में सभी पंजिया बंद थे। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा समर्पित पंजियों की जाँच के क्रम में वितरण पंजी, भंडार पंजी एवं कैशमेमों में समरूपता नहीं पायी गयी। साथ ही भंडार पंजी की प्रविष्टि में छेड़छाड़ भी पायी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने आदेश में इस तथ्यों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि भण्डार पंजी तथा P.H.H वितरण पंजी निरीक्षण के समय दिनांक 10.05.2016 तक हीं संधारित था। स्पष्टीकरण के पश्चात् उन्होंने 11.05.2016 की प्रविष्टि कर भण्डार एवं वितरण की विसंगति को दूर करने का प्रयास किया है, ताकि उनके विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित न हो। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश में यह भी वर्णित है कि बिक्रेता को पत्र सं0 1180 दिनांक 30.11.2015 से पूर्व में भी चेतावनी दी गयी थी। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बिक्रेता पर सभी आरोप की की स्थिति में उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है। अपीलकर्ता का यह कथन है कि जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी, वर्णित परिप्रेक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने के समय इसकी माँग की जानी चाहिए थी। दूसरे ओर अपील आवेदन में उनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन की सुसंगत कंडिकाओं का उल्लेख किया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यद्यपि उन्हें जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी, परन्तु उन्हें इससे सम्बन्धित सभी तथ्यों की जानकारी थी। उनके द्वारा इन्हीं आधारों पर अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क के परिशीलन से न्यायालय

इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध जाँच के क्रम में गम्भीर अनियमितताएँ प्रतिवेदित की गयी। अपीलकर्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं इससे सम्बन्धी पंजियों की समीक्षा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सूक्ष्मता से की गयी एवं सभी तथ्यों की वर्णन अपने आदेश में बारीकी से किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा पूर्व में अनुमंडल पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भी मांगी गयी। अपीलकर्ता द्वारा विस्तृत स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसके विवेचनोपरान्त सभी आरोपों को साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने सम्बन्धी मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर का आदेश ज्ञापांक 367(आ0) दिनांक 02.02.2016 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।